न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल।

पीठासीन– श्री जी0एस0 धर्मशक्तू, एच0जे0एस0,

सत्र परीक्षण संख्या– 01 सन् 2018,

राज्य बनाम अमित मिस्त्री उर्फ कालिया,
पुत्र श्री प्रदीप कुमार,
निवासी शान्ति बाजार
देवप्रयाग, थाना देवप्रयाग,
जिला टिहरी गढ़वाल।

अपराध संख्या– 05/2017,
धारा – 354–ए, 376/511
भा0दं0सं0

थाना – देवप्रयाग,
जिला – पौड़ी गढ़वाल।

अभियुक्त की ओर से– श्री गब्बर सिंह, अधिवक्ता,(न्यायमित्र),
राज्य की ओर से – श्री अवनीश नेगी, डी0जी0सी0(दांडिक),
श्री पी0बी0पंत, ए0डी0जी0सी0 (दांडिक)

<u>दिनांक 28–07–2018</u> <u>निर्णय</u>

अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया पुत्र प्रदीप कुमार का विचारण थाना देवप्रयाग, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर धारा 354–ए, 376/511 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, भा0दं0सं0) के अन्तर्गत किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इसप्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा एक लिखित रपट तहरीर प्रदर्श क–1, थानाध्यक्ष देवप्रयाग, जिला पौड़ी गढ़वाल को इस आशय की दी कि उसकी लड़की/ पीड़िता आज दिनांक 02–07–2017 को सुबह छः बजे रोज की भंति दूध देने बाजार देवप्रयाग जा रही थी कि करीब 7:00बजे एक अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल में अचानक आया और उसकी लड़की / पीड़िता को जबरदस्ती धमकाकर छेड़खानी करने लगा, हाथ पकड़कर उपर सड़क के किनारे ले गया तब लड़की द्वारा शोर करने पर आस–पास के लोग इकट्ठे हुए और वह व्यक्ति इतने में भाग गया और अपनी मोटर साइकिल वहीं छोड़ गया जिसकी सूचना उसे इन एकत्रित लोगों द्वारा मिली तब उसने थाने में इस घटना की सूचना की। अतः रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3— उक्त रपट तहरीर पर अभियुक्त अज्ञात के विरुद्ध धारा 354—ए, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना आरम्भ हुई। विवेचक ने घटनास्थल पर जाकर मौका नक्शा नजरी तैयार किया, पीड़िता के धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित करवाये गये और उसकी नकल प्राप्त की, तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 354—ए, 376/511 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रेषित किया।

4— पत्रावली में आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354—ए, 376/511 भा0दं0सं0, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

5— अभियोजन द्वारा अपने केस को सिद्ध करने हेतु इस सत्र परीक्षण में पी0डब्लू—1 पीड़िता की माता, पी0डब्लू—2 पीड़िता, पी0डब्लू—3 पीड़िता के चाचा, पी0डब्लू04 कानि0 हीरालाल, पी0डब्लू05 कानि0 सुरेन्द्र सिंह, पी0डब्लू06 सुरेश रयाल, पी0डब्लू07 उप निरीक्षक संजीत कुमार, पी0डब्लू08 एस0आई0 अमरीश सिंह, पी0डब्लू09 एस0आई0 मनोज गैरोला एवं पी0डब्लू010 एस0आई0 कलीराम राठौर, को परीक्षित कराया। दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन ने रपट तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क—1, बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श क—2, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क—3, नकल रपट प्रदर्श क—4, नक्शा नजरी प्रदर्श क—5, फर्द गिरफतारी प्रदर्श क—6, नक्शा नजरी प्रदर्श क—7 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क—8, प्रस्तुत किये।

6— अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित किया गया। अभियुक्त ने कथन किया कि उसके विरूद्ध गलत कार्यवाही की गयी है तथा गलत मुकदमा चला तथा गवाहन झूठी गवाही दे रहे हैं। अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7— अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 10 साक्षीगण इस सत्र परीक्षण में प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें पी0डब्लू0—1 पीड़िता की माता है और जिनके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है, ने अपनी मुख्य

परीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता उसकी अविवाहित पुत्री है जिसकी उम्र 50 साल है। वह साफ–साफ नहीं बोल पाती है। दिनांक 02.07.2017 को सुबह छः बजे वह दूध देने के लिये बाह बाजार देवप्रयाग जा रही थी। लगभग 07 बजे बाह बाजार देवप्रयाग से पहले सडक पर पीछे से मोटर साईकिल पर आ रहे एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उसकी पुत्री को पकड कर छेडखानी करने लगा तथा उसका मुंह दबाकर सडक के उपर की तरफ ले जाने लगा। सडक के उपर की तरफ ले जाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा उसकी लडकी का मुंह बंद कर दिया गया और गला भी दबाया गया। मौके पर उसकी लडकी के शोर मचाने पर लोग इकठ्ठा हो गये। लोगों के इकठ्ठा होने पर उक्त व्यक्ति सडक के नीचे कूदकर भाग गया और अपनी मोटर साईकिल वहीं छोड गया था। यह सारी बातें उसे उसकी बेटी ने बतायी थी। इसके बाद वह थाने में गयी और थाना देवप्रयाग में उक्त घटना की रिपोर्ट लिखवाई। पत्रावली में कागज संख्या 5क वहीं प्रार्थना पत्र है जो उसने थाने में दिया था जिसके x स्थान पर उसने अपने अंगूठा निशान की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

8– पी0डब्लू02 पीड़िता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.07.2017 को सुबह वह दूध देने के लिये बाह बाजार देवप्रयाग जा रही थी तब पीछे से अभियुक्त अमित मिस्त्री मोटर साईकिल से आया और उसने पीछे से उसका मुंह दबाया और वह उसे सडक के एक तरफ खीचकर ले जाने लगा। अभियुक्त द्वारा उसके साथ जबरदस्ती की गयी थी। उसके शोर मचाने पर वहां पर एक गाडी रूकी थी तब अन्य लोग भी वहां पर इकठ्ठा हो गये थे। लोगों के आने पर अभियुक्त मौके पर अपनी मोटर साईकिल छोडकर नीचे की तरफ भाग गया तब उसने यह सारी बात अपनी मां को बता दी थी। पुलिस ने न्यायालय में उसके बयान करवाये थे। इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष एक सील बन्द लिफाफा कागज संख्या 16क खोला गया जिसके भीतर से तीन कागज निकले जिस पर क्रमशः कागज संख्या 16क/1 लगायत 16क/3 डाला गया। गवाह ने कागज संख्या 16क/1 को देखकर कहा कि इसके x स्थान पर उसका अंगूठा निशान है। यह वही बयान है जो उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिये थे। कागज संख्या 16क/1 पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

9— पी0डब्लू03 पीड़िता का चाचा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02—07—2017 को सुबह उसकी भतीजी पीड़िता के साथ किसी लड़के ने छेड़छाड़ व जबरदस्ती की थी जिसके संबंध में उन्होंने थाना देवप्रयाग में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, बाद में उन्होंने इसके बारे में पता किया तो उसका नाम अमित मिस्त्री उर्फ कालिया है। दिनांक 10—08—2017 को उसकी भतीजी पीड़िता के मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे परन्तु उसकी भतीजी हिन्दी नहीं जानती थी तो मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस के सामने उसके द्वारा बोले गये शब्दों को अनुवाद करके उसने बोला था। घ्झटना के बारे में जो भी बातें उसके द्वारा बतायी गयी थी वह उसके द्वारा हिन्दी में बताया गया। उसकी भतीजी मन्दबुद्धि की है।

10— पी0डब्लू04 कानि0 हीरालाल है जो एफ0आई0आर0 लेखक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.07.2017 को वह थाना देवप्रयाग में बतौर कॉ0 क्लर्क तैनात था। इस दिन वादिनी एक लिखित अंगूठा निशानी तहरीर प्रद्रर्श क—1, अज्ञात के खिलाफ लेकर थाने में आयी थी जिसके आधार पर उसके द्वारा थाने में एफ0आई0आर0 चिक दर्ज की थी जो पत्रावली में कागज संख्या 6क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क—3 डाला गया। एफ0आई0आर0 चिक की नकल रपट की कार्बन प्रति पत्रावली में कागज संख्या 7क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में मूल के आधार पर सही है जिस पर प्रदर्श क—4 डाला गया। इसके पश्चात् दिनांक 19.11.2017 को वे थाना क्षेत्र में गस्त में मामूर थे तो मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि जिस व्यक्ति ने पीड़िता के साथ छेडछाड की है वह आ रहा है तब उनके द्वारा उसे रामकुण्ड के समीप गिरफ्तार किया गया था। मौके पर फर्द गिरफ्तारी एस0ओ0 साहब के द्वारा तैयार की गयी थी जिसमें सभी हमराह कर्मचारीगण के हस्ताक्षर करवाये गये थे जिसके x स्थान पर वह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, फर्द गिरफ्तारी कागज संख्या 13क है। मौके पर ही गिरफ्तारी सूचना पत्र तैयार किया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 11क है जिसके x स्थान पर वह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है।

11— पी0डब्लू05 कानि0 सुरेन्द्र सिंह है जो गिरफतारी अभियुक्त का गवाह है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 19.11.2017 को थाना देवप्रयाग में तैनात था। दिनांक 19.11.2017 को वह एस0ओ0 प्रमोद शाह कां0 हीरा लाल व एस0आई0 कलीराम राठौर के साथ सरकारी वाहन गाडी से थाना से रवाना होकर थाना क्षेत्र में गस्त करने गए थे जब वे पुलिसकर्मी गस्त करते हुए रामकुण्ड तिराहे पर पहुंचे तो एस0ओ0 साहब को मुखबिर मिला, जिसने एस0ओ0 साहब को बताया कि आपके थाना क्षेत्र में सौड गांव की महिला पीड़िता के साथ जिस लडके ने छेडछाड व जबरदरस्ती की थी, वह लडका अमित उर्फ कालिया पुत्र प्रदीप कुमार निवासी—देवप्रयाग टिहरी गढवाल का है तथा वह अभी—अभी संगम देवप्रयाग की ओर से झुला पुल होते हुए रामकुण्ड पुल पर आने वाला है यदि जल्दी की जाए तो वह पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर यकीन कर वे पुलिसकर्मी मुखबिर को साथ लेकर रामकुण्ड पुल के पास आकर छुपकर बैठ गए थे कि थोडी देर इंतजार करने पर सामने से एक लडका आता दिखाई दिया, जिसे मुखबिर ने अमित बताया था और मुखबिर चला गया। फिर वे पुलिसकर्मी उस लडके की ओर गए तो उन्हें देखकर वह पीछे मुडकर भागने लगा, जिसे उन पुलिसकर्मियों ने दौडकर घेरघारकर आवश्यक बल प्रयोग कर पकडा था। पकडे गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अमित उर्फ कालिया पुत्र प्रदीप कुमार निवासी—शांति बाजार, देवप्रयाग बताया। उसकी जमा तलाशी में कोई चीज बरामद नहीं हुई। उससे भागने का कारण पूछा तो उसने अपनी गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब उसने चार महीने पहले एक महिला के साथ छेडछाड की थी। उसको उसके जुर्म से अवगत कराते हुए रामकुण्ड पुल से चालीस मीटर झुलापुल की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान स्वतंत्र गवाह बनाने की कोशिश की गई, परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द व गिरफतारी मैमो एस0ओ0 साहब ने तैयार की थी तथा फर्द मौके पर सभी पुलिसकर्मियों को पढकर सुनाई गई तथा फर्द पर सभी पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर करवाकर एक प्रति मुल्जिम को मौके पर दे दी गई थी। पत्रावली पर फर्द कागज संख्या 13क है जिसके वाई स्थान पर वह अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त करता है। गिरफ्तारी मैमो पत्रावली पर 11क है, जिसके वाई स्थान पर वह अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है।

12— पी0डब्लू06 सुरेश रयाल है जो कि मोटर साइकिल का मालिक है और उसकी मोटर साइकिल ऋषिकेश से चोरी हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज करवाई गयी, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह मुनिकीरेती ऋषिकेश में रहता हूं। उसका बस अडडे में खाने का ढाबा है। दिनांक 01/02—07—17 की रात्रि को उसके घर 14 बीघा ऋषिकेश में काम चल रहा था, उसने अपनी मोटरसाइकिल यू0के0—14—3096 काला रंग होंडा साईन व स्कूटी लॉक कर घर के बाहर खडी थी। सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां खडी नहीं थी। उन्होंने मोटरसाइकिल तलाश की व आस—पास पूछताछ की तो कुछ पता नहीं चला। दिनांक 03.07.2016 को उसके द्वारा मोटरसाइकिल की चोरी बाबत मुनिकीरेती थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई, जिसका अपराध संख्या 45/17 था। उसकी चोरी की गई मोटरसाइकिल को थाना देवप्रयाग पौडी गढ़वाल द्वारा बरामद किया गया था जिसकी सूचना उसे पुलिस द्वारा दी गई थी तब उसके द्वारा उक्त मोटरसाइकिल जिला पौडी गढवाल से रिलीज करवाई थी।

13— पी0डब्लू07 उप निरीक्षक संजीत कुमार है जिनके द्वारा सुरेश रयाल की चोरी की मोटर साइकिल की विवेचना की गयी थी, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि वह दिनांक 27.09.2016 से चौकी इंचार्ज कैलाश गेट थाना मुनिकीरेती के पद पर कार्यरत है, दिनांक 29.06.2017 व दि0 30.06.2017 की रात्रि को उनकी चौकी क्षेत्र 14 बीघा से एक मोटरसाइकिल यू0के0 14—3096 होंडा साईन काले रंग की चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाना मुनिकीरेती पर मु0अ0सं0 45/17 धारा 379 भा0दं0सं0 पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना उस एस0आई0 द्वारा की गई थी। उपरोक्त मुकदमे में मोटरसाइकिल यू0के0 14—3096 होंडा साईन थाना देवप्रयाग में पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2017 धारा 354(ए), 376/511 भा0दं0सं0 दर्ज है, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना कर मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड दी थी, जो थाना देवप्रयाग में खडी थी जिसमें अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया पुत्र प्रदीप कुमार निवासी—शांति बाजार देवप्रयाग, थाना देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल को दि0 19.11.2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मेरे द्वारा ऋषिकेश थाने में मालूम किया गया तो पता चला कि उनके थाने के अलावा ऋषिकेश में मु0अ0सं0 115/2014 धारा 379/411 भा0दं0सं0 व 142/14 धारा 379, 411 भा0दं0सं0 व थाना रायवाला देहरादून में मु0अ0सं0

49/2014 धारा 379, 411 भा0दं0सं0 तथा थाना राजपुर, देहरादून में मु0अ0सं0 28/2016 धारा 379, 411 भा0दं0सं0 दर्ज है।

14— पी0डब्लू08 एस0आई0 अमरीश सिंह है जिनके द्वारा इस मामले की कुछ विवेचना की गयी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 02.07.2017 को थाना देवप्रयाग में तैनात था। इस तिथि को उसके द्वारा अपराध संख्या 5/2017 जो अज्ञात में दर्ज हुई थी की नकल रपट तथा एफ0आई0आर0 लेकर विवेचना प्रारम्भ की। एफ0आई0आर0 लेखक हीरा लाल, वादिनी मुकदमा, पीडिता के बयान अंकित किये। इस दिन उसके द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया। घटनास्थल से अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल की जा रही बाईक जो कि निर्जन स्थल पर छोडी गयी थी को कब्जे में ली गयी जिसका दाखिला थाना देवप्रयाग में दिनांक 02.07.2017 को समय 18:15 बजे रपट संख्या 26 द्वारा किया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि इस बाईक को अभियुक्त अमित मिस्त्री द्वारा घटना के समय इस्तेमाल किया जा रहा था। दिनांक 02.07.2017 को उसके द्वारा पीडिता की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटनास्थल बनाया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 8क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क—5 डाला गया।

15— पी0डब्लू09 एस0आई0 मनोज गैरोला है जिनके द्वारा भी इस मामले की कुछ विवेचना की गयी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह दिनांक 10.08.2017 से फरवरी 2018 तक थाना देवप्रयाग में बतौर उपनिरीक्षक तैनात रहा है। दिनांक 15.08.2017 को अपराध संख्या 5/17 अ0धा0 354ए, 376, 511 भा0दं0सं0 बनाम अज्ञात की विवेचना उस उपनिरीक्षक को सौंपी गयी। विवेचना ग्रहण करने के बाद उसके द्वारा एफ0आई0आर0 चिक, बयान पीडिता अ0धा0 164 जा0फौ0 व पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन किया गया। दौराने विवेचना घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा छोडी गयी मोटर साईकिल यू.के.14 3096 के सम्बन्ध में आर0टी0ओ0 ऑफिस से मोटर साईकिल के मालिक का पता किया गया जिसका नाम सुरेश रयाल निवासी मुनीकीरेती ऋषिकेश है, के बयान दर्ज किये गये। उन्होने अपने बयानों में बताया कि दिनांक 01.07.2017 की रात्रि को उसके घर में भवन में मरम्मत का कार्य चल रहा था जिस कारण उसने अपनी मोटर साईकिल होण्डा साईन नम्बर यू.के. 14 3096 व

स्कूटी लॉक करके घर के बाहर खडी कर दी थी जिसमें होण्डा साईन मोटर साईकिल चोरी हो गयी थी जिसकी उसने थाना मुनीकीरेती में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दौराने विवेचना प्रकाश में आये संदिग्ध अमित कुमार के पिता प्रदीप कुमार उर्फ रसगुल्ला व मां से पूछताछ की गयी जिन्होंने अमित को आवारा किस्म का होना बताया। उनके द्वारा बताये गये अमित के मोबाईल नम्बर व आई0एम0ई0आई0 नम्बर को एस0ओ0जी0 को कार्यवाही हेतु दिया गया। दिनांक 17.11.2017 से उसके अवकाश पर जाने के कारण उक्त विवेचना अग्रिम विवेचना हेतु एस0आई0 कलीराम राठौर को सौंपी गयी।

16— पी0डब्लू010 एस0आई0 कलीराम राठोर हैं जिनके द्वारा इस मामले की शेष विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 12.08.2017 को वह स्थानान्तरित होकर थाना देवप्रयाग में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। थाना देवप्रयाग में अपराध संख्या 5/2017 अ0धा0 354A बनाम अज्ञात की विवेचना उपनिरीक्षक मनोज गैरोला द्वारा की जा रही थी। मनोज गैरोला के अवकाश पर जाने के कारण उक्त विवेचना उस एस0आई0 को दिनांक 18.11.2017 को विवेचना के लिये सुपुर्द की गयी। मामले में पूर्व विवेचक एस0ओ0 प्रमोद शाह द्वारा धारा 376, 504 भा0दं0सं0 की बढौत्तरी की जा चुकी थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात् उस एस0आई0 द्वारा पूर्व विवेचक के द्वारा की गयी विवेचना व अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन करने के पश्चात् उसके द्वारा पीडिता व वादिनी के पुनः बयान दर्ज किये गये। पीडिता की माता द्वारा दिनांक 18.11.2017 को थाने में एक प्रार्थना पत्र पुनः दिया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 10क है। इस प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि पीडिता द्वारा पुनः उस अपराधी को घर के आस पास घूमते हुए देखा गया है व उसका नाम पता उनके द्वारा मालूम कर दिया गया है। दिनांक 19.11.2017 को वह एस0ओ0 श्री प्रमोद शाह व कॉ0 सुरेन्द्र सिंह, हीरा लाल व चालक दीपक नेगी थाना देवप्रयाग क्षेत्र में गस्त पर रामकुण्ड तिराहे पर पहुंचे तो मुखविर द्वारा सूचना मिली कि जिस लडके ने सौड की महिला के साथ छेडखानी की थी वह लडका संगम की तरफ से झूलापुल होता हुआ रामकुण्ड पुल पर आने वाला है। यदि जल्दी की जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर वे सभी लोग रामकुण्ड पुल के पास झाडियों मे बैठकर उक्त व्यक्ति का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति रामकुण्ड पुल की तरफ आता दिखाई दिया। उन पुलिस वालों को देखकर

सकपकाकर पीछे मुडकर जाने लगा तभी मुखविर ने बताया कि यही वह व्यक्ति है जिसने पीड़िता के साथ छेडछाड की थी। यह बताकर मुखविर चला गया। वे पुलिसकर्मी उस लडके की ओर बढे तो वह उन्हें देखकर भागने लगा तब उन पुलिसकर्मियों द्वारा समय 09:30 बजे सुबह घेरघार कर व आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त को पकड लिया। फर्द गिरफ्तारी मौके पर ही तैयार की गयी थी जो पत्रावली में कागज संख्या 13क है जिसके Z स्थान पर वह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। प्रदर्श क–6 पर अभियुक्त व अन्य पुलिसकर्मियों के भी हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी एक प्रति मौके पर अभियुक्त को दी गयी थी। जिस स्थान पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था उस स्थान का नजरी नक्शा उसके द्वारा दिनांक 29.11.2017 को तैयार किया गया था जो पत्रावली में कागज संख्या 15क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। मामले में विस्तृत विवेचना एवं अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के पश्चात् दिनांक 29.11.2017 को उसके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया जो पत्रावली में कागज संख्या 17क है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

17– मैंने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

18– प्रस्तुत मामले में पीड़िता अनपढ़, ग्रामीण परिवेश की है, यहां तक कि उसे हिन्दी भाषा का भी ज्ञान नहीं है। दिनांक 02–07–2017 को जब वह अपने घर से रोज की भांति दूध देने के लिए देवप्रयाग बाजार जा रही थी तो सुबह 7:00बजे अज्ञात व्यक्ति जो मोटर साइकिल पर सवार था, ने मोटर साइकिल खड़ी कर पीछे से उसे पकड़कर उसका मुंह दबा दिया और जोर जबरदस्ती करने लगा, शोर मचाने पर वहां पर एक गाड़ी रुकी तथा अन्य लोग भी वहां पर इकट्ठे हुए तब वह व्यक्ति अपनी मोटर साइकिल छोड़कर भाग गया। इस घटना को उसने अपनी मां पी0डब्लू01 को बताया जिसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–1 थाना देवप्रयाग पौड़ी गढ़वाल में दी। वादिनी मुकदमा पी0डब्लू01 ने भी अपने बयानों में यही कथन किये हैं तथा पीड़िता द्वारा उसे बताये जाने पर उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाना कहा है। प्रतिपरीक्षा में वादिनी मुकदमा ने कहा है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी, इस कारण उसने अभियुक्त का हुलिया नहीं बताया था।

19— पीड़िता का चाचा पी0डब्लू03 है जिसने अपने बयानों में कहा है कि दिनांक 02—07—2017 को सुबह उसकी भतीजी के साथ किसी लड़के ने छेड़छाड़ व जबरदस्ती की थी जिसके संबंध में उन्होंने थाना देवप्रयाग में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी, बाद में उन्होंने इसके बारे में पता किया तो उसका नाम अमित मिस्त्री उर्फ कालिया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दिनांक 10—08—2017 को उसकी भतीजी पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे, वह हिन्दी नहीं जानती थी तो मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस के सामने उसके द्वारा बोले गये शब्दों को अनुवाद करके उसने बोला था। उसकी भतीजी मंदबुद्धि की है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि घटना के तीन—चार दिन बाद अभियुक्त का नाम, पता व हुलिया उन्हें पता चल गया था।

20— बयान अन्तर्गत धारा 164 दंड प्रकिया संहिता प्रदर्श क—2 न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल द्वारा अंकित किया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि पीड़िता अनपढ़ तथा गढ़वाली भाषा बोलती है, हिन्दी भाषा नहीं बोल पाती है, विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु किसी अनुवादक के माध्यम से अंकित कराने की आवश्यकता है, पीड़िता के साथ उसके चाचा उपस्थित हैं जिसकी शिनाख्त विवेचक द्वारा की गयी तथा प्रार्थना की गयी कि उनके माध्यम से पीड़िता के बयान अंकित किया जाय। पीड़िता ने भी अपने चाचा के माध्यम से बयान कराना चाहा है और उसके द्वारा सहमति दी गयी।

21— पी0डब्लू04 कानि0 हीरालाल तत्समय थाना देवप्रयाग में कानि0 क्लर्क तैनात थे जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क—3 दर्ज की गयी। नकल चिक कार्बन प्रति प्रदर्श क—4 को इस साक्षी ने साबित किया है। अभियुक्त की गिरफतारी रामकुण्ड पुल संगम की ओर दिनांक 19—11—2017 को की गयी जिसकी पुष्टि एस0आई0 कलीराम राठौर पी0डब्लू010 एवं कानि0 सुरेन्द्र सिंह पी0डब्लू05 ने की है तथा गिरफतारी मैमों प्रदर्श क—6 को साबित किया गया है। विवेचक एस0आई0 कलीराम राठौर पी0डब्लू010 द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क—7 तैयार किया गया। घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल यू0के0 14—3096 होंडा साइन छोड़ी गयी थी जिसे दिनांक 29—06—2017 व 30—06—2017 की रात्रि को थाना मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल से चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना मुनिकीरेती पर मुकदमा

अपराध सं0 45/2017 धारा 379 भा0दं0सं0 में मामला पंजीकृत हुआ था। इस बात की पुष्टि करने हेतु उप निरीक्षक संजीत कुमार पी0डब्लू07 को परीक्षित कराया गया है जिसने इस बात की पुष्टि की है कि घटनास्थल पर बरामद मोटर साइकिल थाना मुनिकीरेती क्षेत्र से 29/30–06–2017 की रात्रि को चोरी हुई थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि उपरोक्त मामले में उसके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना के दौरान उसे जानकारी मिली कि अभियुक्त के विरुद्व चोरी के अन्य मुकदमें भी दर्ज हैं।

22– प्रस्तुत मामले में पीड़िता एवं उसकी मां वादिनी मुकदमा ग्रामीण परिवेश की एवं अनपढ़ महिला है, मामले में पैरवी पीड़िता के चाचा पी0डब्लू03 के द्वारा की गयी है। पीड़िता ने अपने बयानों में कहा गया है कि घटना के दिन हाजिर अदालत अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया मोटर साइकिल से आया और पीछे से उसे पकड़कर उसका मुंह दबाया और उसे सड़क की तरफ खींचकर ले जाने लगा, उसने शोर मचाया तो एक गाड़ी सड़क पर रुकी तब वहां पर अन्य लोग इकट्ठा हो गये। प्रतिपरीक्षा में भी सलाह दिये जाने पर पीड़िता ने कहा कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई वारदात नहीं की हो और उसे रंजिशन फंसा रहे हों और यह कहना भी गलत है कि उसने अभियुक्त की सही पहचान न की हो और वह हाजिर अदालत मुलजिम न होकर कोई अन्य व्यक्ति रहा हो। इसप्रकार पीड़िता एक ग्रामीण महिला है, ने न्यायालय में अभियुक्त को पहचाना है और कहा है कि उसी के द्वारा उसके साथ घटना कारित की गयी।

23– अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ पीड़िता का मुंह दबाया और उसे खींचकर ले जाने की कोशिश की गयी तथा उसके साथ जबरदस्ती की गयी जिसे पीड़िता व अन्य साक्षियों द्वारा साबित किया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354–ए भा0दं0सं0 का आरोप संदेह से परे बखूबी साबित हुआ है।

24– जहां तक धारा 376/511 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, पीड़िता ने अपने बयानों में अभियुक्त के द्वारा उसका मुंह दबाने तथा खींचकर ले जाने की बात कही है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि घटना में उसके

शरीर पर कोई चोट नहीं आई और न ही उसके कपड़े फटे थे। वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां पी0डब्लू01 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना के बाद उसकी लड़की पर कोई चोट के निशान नहीं थे और न ही उसके कपड़े फटे हुए थे। धारा 376/511 भा0दं0सं0 के संबंध में साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः धारा 376/511 भा0दं0सं0 का मामला अभियुक्त के विरुद्व साबित नहीं होता है।

25— पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया के विरुद्व आरोप अन्तर्गत धारा 354—ए भा0दं0सं0 को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया को धारा 354—ए भा0दं0सं0 के तहत दोष सिद्व किया जाता है। अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना जायेगा।

दिनांक—जुलाई 28, 2018

(जी0एस0 धर्मशक्तू)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पौड़ी गढ़वाल।

अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया की ओर से कहा गया कि वह गरीब व्यक्ति है, लम्बे समय से जेल में निरुद्ध है, उसे कम से कम सजा दी जाय।

मामले की उपरोक्त परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए मैं अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया को धारा 354—ए भा0दं0सं0 के तहत 03 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं मुवलिग 5,000/—रु0 के जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अमित मिस्त्री उर्फ कालिया पुत्र प्रदीप कुमार को धारा 354—ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत उसे 03 (तीन) वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं मुवलिग 5,000/— (पांच हजार) रु0 के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में व्यतीत

की गयी अवधि वर्तमान सजा में समायोजित की जायेगी। सजायाफ्ता वारण्ट नियमानुसार तैयार होकर जिला कारागार भेजा जाय।

अभियुक्त को धारा 376/511 भारतीय दंड संहिता, के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

माल मुकदमाती, यदि कोई हो तो बाद व्यतीत होने मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जायेगा।

निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त को अविलम्ब प्रदान की जाय।

दिनांक—जुलाई 28, 2018

(जी0एस0 धर्मशक्तू)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पौड़ी गढ़वाल।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर आज खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक—जुलाई 28, 2018

(जी0एस0 धर्मशक्तू)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पौड़ी गढ़वाल।